राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2290/2023

डॉ. ध्रुव सिंह मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्राचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का सम्बद्ध समूह, जयपुर।
4. विभागाध्यक्ष, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.09.2023

आदेश की दिनांक : 18.10.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री तनवीर अहमद एवं सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी सहायक आचार्य के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है, जो वर्तमान में निलंबनाधीन है। अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.07.2023 एवं 21.06.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को बहाल करते हुए उक्त पद पर निरंतर कार्य करने के निर्देश दिए जावें। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.08.2022 से निलंबित माने जाने (deemed to have been suspended) के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश दिनांक 19.07.2023 के

द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर निलंबन काल में अपनी उपस्थिति हेतु निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर के कार्यालय में आदेशित किया गया और आदेश दिनांक 14.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी को निलंबन के दौरान मुख्यालय अतिरिक्त निदेशक निदेशालय चिकित्सा, शिक्षा के कार्यालय में कार्यग्रहण करने बाबत् आदेश जारी किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया और माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया गया। अपीलार्थी ने कार्यग्रहण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा स्वीकार नहीं की गई, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 07.11.2022 के विरूद्ध रिट याचिका संख्या 18806/2022 दायर की, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.06.2023 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में कार्यग्रहण करवाने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को 10 माह से कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया, परंतु विभाग द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और आदेश दिनांक 21.06.2023 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 10.08.2022 से निलंबित माने जाने के आदेश जारी किए गए, जो विधि विरूद्ध है। उनका कथन है कि अपीलार्थी नीट पीजी, 2023 का कोर्स करने हेतु आदेश जारी हुआ है। परंतु निलंबन के कारण विभाग अपीलार्थी को उक्त कोर्स के संबंध में भेजने हेतु अनुमति नहीं दे रहा है। जबकि अपीलार्थी को जो निलंबन आदेश जारी किया गया है, वह विधि सम्मत नहीं है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.07.2022, 21.06.2023 एवं 19.07.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथावत कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी सहायक आचार्य के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.08.2022 से निलंबित माने जाने (deemed to have been suspended) के आदेश जारी किए गए हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण उसे न्यायिक हिरासत में

भेजा जाने के कारण उसे 48 घण्टे से अधिक न्यायिक हिरासत में रखा गया है। अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 07.11.2022 के विरूद्ध रिट याचिका संख्या 18806/2022 दायर की, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.06.2023 की पालना में विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाया। जहां तक अपीलार्थी को निलंबन से बहाल किए जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर एक अभ्यावेदन विभाग को 2 सप्ताह में देवें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 की पालना में पुनरावलोकन समिति के समक्ष अपीलार्थी के निलंबन से बहाली के संबंध में प्रकरण को विचारार्थ रखा जावे एवं पुनरावलोकन समिति नियमानुसार तथा न्यायिक दृष्टान्तों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के मामले पर गुणावगुण पर विचार कर उचित निर्णय लेवें एवं जिसकी सूचना अपीलार्थी को भी देवें।

उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य